

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 31-8-16

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702- लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच.	1031.420

कुल आवंटित राशि - रुपये दस करोड़ एकतीस लाख बेयालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध ₹ 9517.52 लाख (पंचानबे करोड़ सत्रह लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

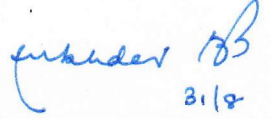
(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन वीरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


31/8

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

107

रॉची, दिनांक :-

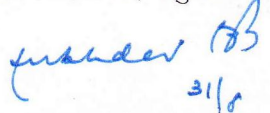
31-8-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा / जमशेदपुर/ सरायकेला/ चाईबासा/ गुमला/ खूंटी/ सिमडेगा/ लातेहार/ लोहरदगा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ हुसैनाबाद/ चतरा/ हजारीबाग/ रामगढ़/ कोडरमा/ गिरिडीह/ धनबाद/ बोकारो/ देवघर/ दुमका/ गोड्डा/ पाकुड़/ साहेबगंज/ जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


31/8
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉब

पत्रांक 107 दिनांक 31-8-16 का अनुमति

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2016-2017			विरसुत शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते				विरसुत शीर्ष-02- देशीय यात्रा व्यय				विरसुत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय				विरसुत शीर्ष-04- मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति		विरसुत शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	
क0 सं0	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विविध प्रभार	कुल योग	अभिमुक्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	विषय कोड	50N2702020050 10101	50N270202005 010110	50N27020200 5010112	50N270202005 010213	50N27020200 5010315	50N2702020 05010316	50N27020200 5010323	50N27020200 5010333	50N270202005 010334	50N270202005 010337	50N270202005 010442	50N270202005 010760	कुल योग	अभिमुक्ति				
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन	14.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	15.300					
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	अतिरिक्त आवंटन	10.930	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.300	0.000	0.500	0.600	0.000	12.830					
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रोवी	कुल आवंटन	24.930	0.000	0.000	0.300	0.800	0.000	0.000	0.400	0.000	0.500	1.200	0.000	28.130					
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रोवी	पूर्व का आवंटन	122.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	123.300					
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रोवी	अतिरिक्त आवंटन	28.000	0.000	0.200	0.000	0.500	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.600	0.300	30.200					
3	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,रोवी	कुल आवंटन	150.000	0.000	0.200	0.300	0.800	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	1.200	0.300	153.500					
3	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,रोवी	पूर्व का आवंटन	37.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	38.100					
3	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,रोवी	अतिरिक्त आवंटन	6.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	6.600					
4	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	कुल आवंटन	43.000	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.500	0.000	44.700					
4	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	61.000					
4	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	अतिरिक्त आवंटन	32.710	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.400	0.300	34.510					
5	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	कुल आवंटन	92.710	0.000	0.000	0.700	0.500	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.900	0.300	95.510					
5	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	पूर्व का आवंटन	59.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	60.000					
5	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	अतिरिक्त आवंटन	27.000	0.000	0.300	0.000	0.300	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.400	0.000	28.400					
6	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	कुल आवंटन	86.000	0.000	0.300	0.200	0.550	0.000	0.250	0.200	0.000	0.000	0.900	0.000	88.400					
6	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	पूर्व का आवंटन	53.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	54.000					
6	लघु सिंचाई अंचल-रोवी	अतिरिक्त आवंटन	17.000	0.000	0.000	0.600	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.400	0.400	0.000	18.750					
7	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रोवी	कुल आवंटन	70.000	0.000	0.000	0.800	0.500	0.000	0.000	0.150	0.000	0.400	0.900	0.000	72.750					
7	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रोवी	पूर्व का आवंटन	146.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	146.850					
7	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रोवी	अतिरिक्त आवंटन	55.000	0.000	0.250	0.400	0.250	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	56.800					
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	कुल आवंटन	201.000	0.000	0.250	0.600	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.900	0.100	203.650					
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	पूर्व का आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	109.850					
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	अतिरिक्त आवंटन	92.900	0.000	0.000	0.500	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.400	95.080					
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	कुल आवंटन	201.900	0.000	0.000	0.700	0.400	0.630	0.000	0.100	0.000	0.000	0.800	0.400	204.930					
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	पूर्व का आवंटन	191.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	191.850					
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	अतिरिक्त आवंटन	54.260	0.000	0.200	0.000	0.250	0.110	0.200	0.050	0.000	0.000	0.500	0.100	55.670					
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	कुल आवंटन	245.260	0.000	0.200	0.200	0.450	0.110	0.200	0.100	0.000	0.000	0.900	0.100	247.520					
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन	173.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	173.850					
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	अतिरिक्त आवंटन	77.000	0.000	0.000	0.500	0.200	1.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.400	0.500	80.050					
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	कुल आवंटन	250.000	0.000	0.000	0.700	0.400	1.000	0.000	0.100	0.000	0.400	0.800	0.500	253.900					

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति सुब्रह्मन्यम चौधरी)
उप सचिव (अभिनव)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विवरण	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-		विरुद्ध शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	वेतनादि	एल0टी0सी0	व्यय	यात्रा	कार्यालय व्यय	किराया, दस्ते, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटर्स/मिटर/इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति		
1	2	विमन कोड	50N2702020050 10101	50N2702020050 010110	50N2702020050 5010112	50N2702020050 010213	50N2702020050 5010315	50N2702020050 05010316	50N2702020050 5010323	50N2702020050 5010333	50N2702020050 010334	50N2702020050 010337	50N2702020050 010442	50N2702020050 010760			16	17		
11	लघु सिवार्ड प्रमंडल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	185.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	185.850			
		अतिरिक्त आवंटन	152.450	0.000	0.200	0.200	0.400	0.400	3.100	0.200	0.050	0.000	0.500	0.400	0.200	0.200	157.500			
		कुल आवंटन	337.450	0.000	0.200	0.400	0.400	0.200	3.100	0.200	0.100	0.000	0.500	0.800	0.200	0.200	343.350			
12	लघु सिवार्ड प्रमंडल-दुमका	पूर्व का आवंटन	261.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	261.850			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.200	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.400	0.700	0.700	2.050			
		कुल आवंटन	261.000	0.000	0.000	0.700	0.400	0.400	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.800	0.700	0.700	263.900			
13	लघु सिवार्ड प्रमंडल-धनबाद	पूर्व का आवंटन	131.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	131.850			
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.200	0.600	0.200	0.200	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.400	0.400	52.350			
		कुल आवंटन	181.000	0.000	0.200	0.800	0.400	0.400	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.800	0.400	0.400	184.200			
14	लघु सिवार्ड प्रमंडल-पाकुड़	पूर्व का आवंटन	136.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	136.800			
		अतिरिक्त आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.200	0.200	61.150			
		कुल आवंटन	196.000	0.000	0.000	0.500	0.400	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.800	0.200	0.200	197.950			
15	लघु सिवार्ड प्रमंडल-बांकोरो	पूर्व का आवंटन	126.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	126.850			
		अतिरिक्त आवंटन	55.110	0.000	0.230	0.400	0.200	0.200	1.290	0.200	0.100	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	57.980			
		कुल आवंटन	181.110	0.000	0.230	0.600	0.400	0.400	1.290	0.200	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	184.830			
16	लघु सिवार्ड प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	96.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	96.850			
		अतिरिक्त आवंटन	68.000	0.000	0.050	0.500	0.200	0.200	1.440	0.000	0.050	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	70.940			
		कुल आवंटन	164.000	0.000	0.050	0.700	0.400	0.400	1.440	0.000	0.100	0.000	0.300	0.800	0.000	0.000	167.790			
17	लघु सिवार्ड प्रमंडल-सामनाह	पूर्व का आवंटन	129.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	129.850			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.250	0.380	0.200	0.200	0.000	0.300	0.050	0.000	0.300	0.400	0.100	0.100	1.980			
		कुल आवंटन	129.000	0.000	0.250	0.580	0.400	0.400	0.000	0.300	0.100	0.000	0.300	0.800	0.100	0.100	131.830			
18	लघु सिवार्ड प्रमंडल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	118.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	118.850			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400			
		कुल आवंटन	118.000	0.000	0.000	0.600	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	119.250			
19	लघु सिवार्ड प्रमंडल-हुसैनबाद	पूर्व का आवंटन	88.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	88.850			
		अतिरिक्त आवंटन	70.000	0.000	0.000	0.300	0.250	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.400	0.500	0.250	0.250	71.950			
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.000	0.500	0.450	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.400	0.900	0.250	0.250	160.800			
20	लघु सिवार्ड प्रमंडल, राँची	पूर्व का आवंटन	143.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	143.850			
		अतिरिक्त आवंटन	60.000	0.000	0.250	0.200	0.200	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	0.100	61.550			
		कुल आवंटन	203.000	0.000	0.250	0.400	0.400	0.400	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.900	0.100	0.100	205.400			
21	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची	पूर्व का आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	20.900			
		अतिरिक्त आवंटन	12.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.200	0.200	13.250			
		कुल आवंटन	32.000	0.000	0.000	0.700	0.400	0.400	0.000	0.000	0.150	0.000	0.300	0.400	0.200	0.200	34.150			

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति मोहन वैरागि)
उप सचिव (अभिनव)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

107
21.8.16

21/8

21/8

वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरसुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरसुत शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरसुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरसुत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत		विरसुत शीर्ष-07-विधि प्रभार		राशि लाख रुपये में	
क0 सं0	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाया, दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-सैदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	74.000 41.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.200 0.300	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.200	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.200	0.400 0.600	0.000 0.000	74.850 42.750		
23	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	37.000 17.630	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.400 0.200	0.000 0.000	0.000 0.200	0.100 0.050	0.000 0.000	0.200 0.000	1.000 0.400	0.000 0.000	37.800 18.680		
	अतिरिक्त आवंटन का योग	कुल आवंटन	54.630 986.990	0.000 0.000	0.000 2.330	0.400 7.280	0.400 5.650	0.000 7.570	0.200 3.100	0.050 1.950	0.000 0.000	0.000 3.600	0.800 9.100	0.000 3.850	56.480 1031.420		

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दस करोड़ एकतीस लाख बेयालीस हजार मात्र

(अंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन कोरसेरा)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

107
31-8-16